

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठारीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एरा

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./38/2023

1. धीसी पुत्री इस्माईल जाति मुसलमान निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
प्रार्थीयां

बनाम

1. छोटी पत्नी अजीज मौहम्मद जाति मुसलमान निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. मांगीदेवी पत्नी स्व० देवीलाल जाति दर्जी निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. दुर्गाशंकर पुत्र स्व० देवीलाल जाति दर्जी निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. शांतिलाल पुत्र स्व० देवीलाल जाति दर्जी निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. शिवप्रसाद पुत्र स्व० देवीलाल जाति दर्जी निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. सीमा पुत्री स्व० देवीलाल जाति दर्जी निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. कन्हैयालाल पुत्र बालूराम जाति भांबी निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
9. प्रमुलाल पुत्र रामसहाय जाति मीणा निवासी जुगलपुरा कलां, निवाई, तहसील टोंक जिला टोंक
10. लक्ष्मणलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी 141, जिक कॉलोनी, हुरड़ा, तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा(विलोपित)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण



निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-05.06.2024

1. वकील प्रार्थी- श्री शम्मी मोहम्मद
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा देवलियाकलां पटवार क्षेत्र देवलियाकलां ए भू०अ०नि० क्षेत्र देवलियाकलां के खाता सं० 250 में दर्ज खसरा नं. 967 रकबा 0.15 कुल किता 01 कुल रकबा 0.15 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 10 प्रार्थी की कब्जे काशत भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 11 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 तथा 06 लगायत 09 तक की नियमानुसार

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 तथा 06 लगायत 09 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अगल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 05 द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर पत्थरगढ़ वावत् अपनी सहमति प्रकट की गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री शम्मी मोहम्मद द्वारा अप्रार्थी संख्या 10 का नाम पत्रावाली से विलोपित करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 में पैरोकार सरकार द्वारा अनापत्ति प्रकट की गई। उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थी संख्या 10 का नाम पत्रावाली से विलोपित किया जाकर संशोधित उनवान स्वीकार किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पत्रावली में अप्रार्थीगणों से जवाब प्राप्त कर पत्रावाली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 128

भू0रा0अधि0 सुनी गई। पत्रावली, जवाब प्रार्थना-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम देवलियांकलां के खाता संख्या 250 संवत् 2073-2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दीयों, दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा देवलियांकलां पटवार क्षेत्र देवलियांकलां ए भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं0 250 में दर्ज खसरा नं. 967 रकबा 0.15 कुल किता 01 कुल रकबा 0.15 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 500/- रु(पाचं सौं रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामिल तकमील होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(गुरु प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)